फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गोपाललाल वनाम विपक्षी : श्री भंवरलाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 77/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 16.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2, 3 उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा मूल वाद में बंटवाडा किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई तथा इस पत्रावली में भी उभय पक्ष को मूल वाद के निरस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निरस्तारण तक मौके व रेकर्ड के यथास्थिति बनाये रखने हेतु अपनी सहमती व्यक्ति की ताकि प्रकरण में वाद के निरस्तारण से पूर्व किसी प्रकार के मौका एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः उभय पक्षकारान आपस में सहमत होने से प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 1377 की आराजी नम्बर 236 किता 01 रकबा 0.3600 है. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निरस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:23:33 IST
Reason: SelfAttested